

WFI/Dope Test/04/2026
28th August 2026

CIRCULAR

Subject **Advisory regarding strict compliance with Anti-Doping Rules and Whereabouts Requirements – reg.**

The Wrestling Federation of India (WFI) is deeply concerned about the increasing instances of anti-doping violations being reported in Indian sport, including cases involving the presence/use of prohibited substances as well as Whereabouts Failures. Such violations not only adversely affect the career and reputation of individual athletes but also undermine the integrity of the sport of wrestling.

All wrestlers are, therefore, advised to exercise the highest degree of caution and personal responsibility in matters relating to anti-doping compliance. Athletes must understand that ignorance of the Anti-Doping Rules, reliance solely on coaches/support staff, or inadvertent consumption of a prohibited substance does not automatically absolve an athlete of responsibility.

In particular, athletes who are part of the Registered Testing Pool (RTP) or any other testing pool notified by the National Anti-Doping Agency (NADA India) are required to provide accurate and complete Whereabouts information and remain available for testing as prescribed under the applicable Anti-Doping Rules. Whereabouts information includes relevant details such as residence, training venues and timings, competition schedules, travel and overnight accommodation details.

Athletes are specifically advised to:

1. Regularly check their NADA/ADAMS account and ensure that all Whereabouts information is complete, accurate and updated within the prescribed timelines.
2. Immediately update any change in training location, residence, travel, competition schedule or other relevant activity. Athletes must not assume that coaches, academies or federation officials will make such updates on their behalf.
3. Understand the 60-minute testing requirement, wherever applicable. An athlete included in the RTP must remain available at the declared location during the specified 60-minute testing window. Failure to be available may result in a Missed Test.
4. Exercise extreme caution regarding medicines, supplements and nutritional products. Athletes must check the status of any medicine or substance before consuming it and should inform their treating doctor that they are subject to Anti-Doping Rules. Where necessary, athletes should seek guidance regarding a Therapeutic Use Exemption (TUE).
5. Never consume any supplement or medication merely on the recommendation of a fellow athlete, coach, trainer, gym personnel or any other person without appropriate verification.

WFI will undertake a series of Anti-Doping Education and Awareness initiatives for wrestlers and Athlete Support Personnel. These initiatives will include dedicated awareness sessions, practical

demonstrations on filling and updating Whereabouts information/ADAMS, guidance on prohibited substances and medicines, interaction with NADA India experts, dissemination of educational material, and periodic sensitisation programmes at national camps, academies and competitions.

WFI will also encourage athletes and coaches to seek clarification whenever they are uncertain about any aspect of anti-doping compliance rather than taking any risk. The objective of these initiatives is not merely to prevent violations but to develop a strong culture of Clean Sport, informed decision-making and individual responsibility within Indian wrestling.

All wrestlers and Athlete Support Personnel are advised to treat this matter with utmost seriousness. Athletes are reminded that anti-doping compliance is an individual responsibility, and every wrestler must take proactive steps to protect their career, reputation and the integrity of the sport.

WFI urges all members of the wrestling fraternity to remain vigilant, informed and committed to Clean Sport.



[Sanjay Kumar Singh]
President

WFI/Dope Test/04/2026
28th August 2026

Circular / परिपत्र

विषय: एंटी-डोपिंग नियमों एवं Whereabouts संबंधी आवश्यकताओं के कड़ाई से अनुपालन के संबंध में परामर्श।

भारतीय खेलों में एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों, जिनमें निषिद्ध पदार्थों के सेवन/उपस्थिति तथा **Whereabouts Failures (उपलब्धता संबंधी विफलता)** के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ गंभीर रूप से चिंतित है। ऐसे उल्लंघन न केवल संबंधित खिलाड़ियों के कैरियर एवं प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं, बल्कि कुश्ती खेल की निष्पक्षता एवं गरिमा को भी प्रभावित करते हैं।

अतः सभी पहलवानों को एंटी-डोपिंग अनुपालन के संबंध में अत्यधिक सावधानी एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी जाती है। खिलाड़ियों को यह समझना आवश्यक है कि एंटी-डोपिंग नियमों की जानकारी का अभाव, केवल कोच/सहायक स्टाफ पर निर्भरता अथवा अनजाने में निषिद्ध पदार्थ का सेवन, खिलाड़ी को उसके दायित्व से स्वतः मुक्त नहीं करता।

विशेष रूप से, **Registered Testing Pool (RTP)** अथवा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA India) द्वारा अधिसूचित किसी अन्य Testing Pool में शामिल खिलाड़ियों के लिए लागू एंटी-डोपिंग नियमों के अनुसार सही एवं पूर्ण Whereabouts संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना तथा निर्धारित समय एवं स्थान पर डोपिंग परीक्षण हेतु उपलब्ध रहना आवश्यक है। Whereabouts संबंधी जानकारी में निवास स्थान, प्रशिक्षण स्थल एवं समय, प्रतियोगिता कार्यक्रम, यात्रा तथा रात्रि प्रवास संबंधी विवरण आदि शामिल हैं।

खिलाड़ियों को विशेष रूप से निम्नलिखित का पालन करने की सलाह दी जाती है:

1. अपने **NADA/ADAMS** खाते को नियमित रूप से जांचें तथा सुनिश्चित करें कि Whereabouts संबंधी सभी जानकारी पूर्ण, सही एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर अद्यतन हो।
2. प्रशिक्षण स्थल, निवास, यात्रा, प्रतियोगिता कार्यक्रम अथवा अन्य संबंधित गतिविधि में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में जानकारी को तत्काल अद्यतन करें। खिलाड़ियों को यह नहीं मानना चाहिए कि कोच, अकादमी अथवा महासंघ के अधिकारी उनकी ओर से यह जानकारी अद्यतन कर देंगे।
3. जहाँ लागू हो, **60 मिनट की Testing Window** की आवश्यकता को भली-भांति समझें। RTP में शामिल खिलाड़ी को निर्धारित 60 मिनट की अवधि के दौरान घोषित स्थान पर परीक्षण हेतु उपलब्ध रहना आवश्यक है। उपलब्ध न होने की स्थिति में इसे **Missed Test** माना जा सकता है।

4. दवाओं, सप्लीमेंट्स एवं पोषण संबंधी उत्पादों के सेवन में अत्यधिक सावधानी बरतें। किसी भी दवा अथवा पदार्थ के सेवन से पहले उसकी एंटी-डोपिंग स्थिति की जांच करें तथा अपने चिकित्सक को यह अवश्य बताएं कि आप एंटी-डोपिंग नियमों के अधीन हैं। आवश्यकता होने पर **Therapeutic Use Exemption (TUE)** के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें।
5. किसी साथी खिलाड़ी, कोच, ट्रेनर, जिम स्टाफ अथवा किसी अन्य व्यक्ति की सलाह मात्र के आधार पर, बिना उचित सत्यापन के, किसी भी सप्लीमेंट या दवा का सेवन न करें।

भारतीय कुश्ती संघ द्वारा पहलवानों एवं **Athlete Support Personnel** के लिए विभिन्न एंटी-डोपिंग शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें विशेष जागरूकता सत्र, Whereabouts/ADAMS संबंधी जानकारी भरने एवं अद्यतन करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण, निषिद्ध पदार्थों एवं दवाओं के संबंध में मार्गदर्शन, NADA India के विशेषज्ञों के साथ संवाद तथा राष्ट्रीय शिविरों, अकादमियों एवं प्रतियोगिताओं के दौरान समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम शामिल होंगे।

भारतीय कुश्ती संघ खिलाड़ियों एवं कोचों को प्रोत्साहित करेगा कि एंटी-डोपिंग नियमों के किसी भी पहलू के संबंध में संदेह होने पर जोखिम लेने के बजाय उचित मार्गदर्शन एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करें। इन पहलों का उद्देश्य केवल उल्लंघनों को रोकना नहीं, बल्कि भारतीय कुश्ती में **Clean Sport**, जागरूक निर्णय लेने तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी की मजबूत संस्कृति विकसित करना है।

सभी पहलवानों एवं **Athlete Support Personnel** को इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लेने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक खिलाड़ी को अपने कैरियर, प्रतिष्ठा तथा कुश्ती खेल की गरिमा की रक्षा के लिए एंटी-डोपिंग नियमों के अनुपालन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभानी होगी।

भारतीय कुश्ती संघ कुश्ती जगत के सभी सदस्यों से सतर्क, जागरूक एवं **Clean Sport** के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान करता है।



[संजय कुमार सिंह]
अध्यक्ष